# न्यायालय समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी, सहरसा

## जमाबंदी अपील वाद संख्या– 202/2012–13.

प्रथम पक्षः– (1) दारा सिंह पिता– स्व० रघु सिंह,
साकिन– सिमराहा वार्ड नं० 14,
जिला– सहरसा।
(2) रामबहादुर साह पिता– स्व० मोजी साह,
(3) हीरालाल साह पिता– स्व० मोजी साह,
(4) ब्रह्मदेव साह पिता– स्व० मोजी साह,
साकिन– सिमराहा, वार्ड नं०– 15, सहरसा।

द्वितीय पक्षः– (1) विजयचन्द्र ठाकुर पिता– जयनारायण ठाकुर,
साकिन– गौतम नगर, वार्ड नं०– 13,
थाना व जिला– सहरसा।

**04.11.2019**

## –::आदेश::–

प्रस्तुत अभिलेख की कार्यवाही का प्रारंभ अपीलार्थी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल अपील आवेदन के आलोक में दिनांक 05.07.2012 को किया गया। अपीलार्थी द्वारा दाखिल यह अपील आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा द्वारा वाद संख्या– 01/2011–12, के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 11.06.2012 के विरूद्ध है।

अपीलार्थी दिनांक 18.01.2017 अर्थात दो वर्ष से अधिक अवधि सें लगातार अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद के निष्पादन में उनकी रूचि समाप्त हो गयी है और उन्हें अब अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। दूसरी ओर प्रतिवादी सदस्य द्वारा भी इस स्थिति में अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

उक्त संबंध में सरकारी अधिवक्ता, जो न्यायालय में उपस्थित हैं, से भी मंतव्य की मांग की गई। सरकारी अधिवक्ता का भी कहना है कि अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की रूचि वाद के निष्पादन में नहीं रह गई है। अतः अपीलार्थी के अदमपैरवी के अभाव में कार्यवाही का चलना उचित नहीं है। सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी वाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

प्रतिवादी सदस्य के साथ सरकारी अधिवक्ता को सुना और निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ समस्त अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के लगातार एक लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने और अवसर दिये जाने के बाद भी अपना पक्ष रखने में टाल–मटोल किए जाने से स्पष्ट है कि उनकी रूचि वाद के निष्पादन के नहीं रह गयी है। उक्त स्थिति में इस कार्यवाही के चलने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

उपस्थापक निम्न न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ संबंधित को भेंजे।

लेखापित व शुद्धिकृत

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 33 ........../न्याया0,   सहरसा, दिनांक 14.01.20 ..........

प्रतिलिपि :– निम्न न्यायालय का अभिलेख जमाबंदी अपील वाद संख्या– 01/11–12, विजयचन्द्र ठाकुर बनाम राज्य मूल में संलग्न करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

14/01/20